

फर्द अहकाम

मजिस्ट्रेट

बनाम

पुला देवी

५३/२०२०

क्र. आ. या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
५१/२५	<p>पत्रावली पेश की है। इतिवस्तु कि उपरिपत्र प्रमाण में पूर्व में बट्टा से एक माफ से इतिवस्तु का समाधान के कारण पुनः बट्टा से गडे पत्रावली वस्ते कादेश दिनांक १०/११/२५ को पेश की</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	
५१/२५	<p>पत्रावली वास्ते जोसे हेतु प्रस्तुत है। वापी का वाद विरुद्ध प्रस्तावित गत की जाता है किस्त किपी प्रमाण से निवेदापा जागर साक्षि पत्रावली किम गत पत्रावली केवल सुमाद वीरु देना से गत से वाद गतमेव साक्षि प्रस्तुत है।</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 43/2020

निर्णय दिनांक : 10.01.2024

मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री कंवर सिंह जाति मीणा निवासी प्लॉट नं 92 ए, परमहंस कॉलोनी सीकर रोड जयपुर जरिये मुख्यालय आमेर रघुनाथ प्रसाद मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम भीवपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

-वादीया

बनाम

1. फूली देवी पत्नी कालू
2. कैलाश पुत्र कालू
3. नरसी पुत्र कालू
4. सीता पुत्री कालू
5. रामस्वरूपी पुत्री कालू
6. बल्लू पत्नी कालू

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. शांति देवी पत्नी रघुनाथ प्रसाद मीणा निवासी भीवपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम सालडवास पटवार हल्का चंदवाजी भू- अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 272 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273/610 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या नया 14 पुराना 13 में प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सं 7 हिस्सा 1/2 के रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज चला आ रहा है जो वादअधीन भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता श्री कालू पुत्र श्री काना जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास ने अपने हक व अधिकार की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/4/2010 द्वारा वादी के हक में निष्पादित किया, जो विक्रय पत्र उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के समक्ष दिनांक 29/04/2010 को रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व अधिकार की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र वादी को किये जाने के पश्चात् विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01/05/2018 को नामान्तकरण भरने हेतु नकल प्रस्तुत कर दी, और आश्वस्त हो गया कि पटवारी हल्का उसके हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर देगा। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उसके हक में नामान्तकरण नहीं भरा गया। जबकि कालूराम पुत्र कानाराम की मृत्यु पर उसके द्वारा भूमि बेचान करने के पश्चात् भी उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 16/05/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज कर दिया। जिस कारण वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष वादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता कालूराम द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करने के पश्चात् उसके समस्त अधिकार वादी में निहित हो गये परन्तु नामान्तकरण उसके नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है वह पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का वादअधीन भूमि से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं रहा है। ऐसे में वादी को विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। वादी को उक्त वादअधीन भूमि में विक्रय पत्र के आधार पर निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं होने एवं विरासत का नामान्तकरण दर्ज होने की जानकारी वादी को राजस्व कैम्प बिलौची में हुई। जिस पर उसने प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिया। तब पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज न होकर विक्रेता की विरासत दर्ज हो चुकी है। ऐसे में उसे वाद के द्वारा ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जा सकता है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से सम्पर्क कर, प्रतिवादी संख्या 8 के समक्ष उपस्थित होकर नामान्तकरण दर्ज कराने की व विवादित नामान्तकरण संख्या 254 को रिव्यू कराने के लिए तहसील में उपस्थित होने की प्रार्थना की, जिस पर पूर्व में तो प्रतिवादी उक्त कार्य के लिये हामी भरते रहे। परन्तु अब उक्त नामान्तकरण रिव्यू के लिये टालमटोल करते आ रहे हैं। इस कारण वादी को अपने हक व अधिकार की भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से अपने हक में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने के संबंध में दिनांक 18/05/2018 को वार्तालाप की तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतोषप्रद जवाब वादी को नहीं दिया, तथा कहा कि बाद में इसे दुरुस्त करवा देंगे। जिसके संबंध में दिनांक 28/6/2020 को वादी द्वारा बार-बार निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा नाम दर्ज कराने से साफ इन्कार कर दिया एवं वादअधीन भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने की एलानियां धमकी दी। चूंकि वादअधीन भूमि पर वादी का विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज व अंकित नहीं किया गया था जिसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कर लिया एवं जब वादी ने उनसे वार्तालाप की तो उन्होंने विरासत के आधार पर दर्ज नामान्तकरण रिव्यू कराने से साफ इन्कार कर दिया, एवं वादी को बेदखल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

करने पर उतारू है एवं उनके नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज के आधार पर वादी को उनके निहित हिस्सा भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, एवं वादअधीन भूमि को बैचान-हस्तान्तरण एवं खुर्द-बुर्द करने पर आमादा फिसाद है और येनकेन प्रकारेण वादी को उनके खातेदारी अधिकारों व विधिक अधिकारों से वैचित करने पर तुले हुए है जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसके विपरीत वादी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दें कि, उपरोक्त उल्लेखित खसरा नम्बरान की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को प्रतिवादीगण किसी भी अन्य को बैचान-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने, आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहें तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद अधीन भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में लिपिबद्ध, निष्पादित एवं हस्ताक्षरित किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन एवं तस्दीक करने से प्रतिवादी संख्या 9 निषेद्ध रहें तथा वाद अधीन भूमि में वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग, कब्जा-काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, मदांखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहें तथा अपने-अपने परिवारजन, एजेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल बाना एवं प्रतिवादी सं 10 की ओर से श्री गौतम कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.09.2021 को प्रतिवादी सं 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 27.05.2022 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 7, 10 का जवाब दावा बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 06.04.2023 को प्रतिवादीगण का जिरहं का अवसर बन्द किया गया व पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गयी। दिनांक 10.01.2024 को प्रकरण में वादी की बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता श्री कालू पुत्र श्री काना जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास ने अपने हक व अधिकार की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/4/2010 द्वारा वादी के हक में निष्पादित किया, जो विक्रय पत्र उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के समक्ष दिनांक 29/04/2010 को रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व अधिकार की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र वादी को किये जाने के पश्चात् विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01/05/2018 को नामान्तरण भरने हेतु नकल प्रस्तुत कर दी, और आश्वस्त हो गया कि पटवारी हल्का उसके हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक कर देगा। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उसके हक में नामान्तरण नहीं भरा गया। जबकि कालूराम पुत्र कानाराम की मृत्यु पर उसके द्वारा भूमि बैचान करने के पश्चात् भी उसकी विरासत का नामान्तरण संख्या 254 दिनांक 16/05/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज कर दिया। जिस कारण वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष वादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं। अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम सालडवास पटवार हल्का चंदवाजी भू- अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 272 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273/610 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 का नाम हजफ कर वादी का नाम दर्ज व अंकित किया जावे।

बहस वकील वादी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किये जाने पर पाया कि प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 के पिता श्री कालू पुत्र श्री काना जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास ने अपने हक व अधिकार की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/4/2010 द्वारा वादी के हक में निष्पादित किया, जो विक्रय पत्र उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के समक्ष दिनांक 29/04/2010 को रजिस्टर्ड किया गया। उक्त विक्रय पत्र को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है न ही उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र का जवाब पेश किया है। प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 के पिता श्री कालू पुत्र श्री काना जाति मीणा की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तरण उनके वारिसान के हक में तस्दीक कर दिया जो एक सतत प्रक्रिया थी। बल्कि प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 के पिता श्री कालू पुत्र श्री काना जाति मीणा द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी का नामान्तरण वादी मनोज कुमार मीणा के पक्ष में निष्पादित किया जाना चाहिए था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/4/2010 के आधार पर वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/4/2010 के आधार पर विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को ग्राम सालडवास पटवार हल्का चंदवाजी भू- अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 272 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273/610 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी का किसी अन्य को बैचान-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने, आम व खास मुखत्यार नहीं करे न ही उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सालडवास पटवार हल्का चंदवाजी भू- अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 272 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273/610 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर वादी मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री कंवर सिंह जाति मीणा का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(श्यामा राठौड)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
सहायक मुख्य अधिकारी (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास श्यामा राठीड, आर.ए.एस
वाद संख्या : 43/2020
निर्णय दिनांक : 10.01.2024

मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री कंवर सिंह जाति मीणा निवासी प्लाट नं 92 ए, परमहंस कॉलोनी सीकर रोड
जयपुर जरिये मुख्याराम रघुनाथ प्रसाद मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम
भींवपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

-वादीया

बनाम

1. फूली देवी पत्नी कालू
2. कैलाश पुत्र कालू
3. नरसी पुत्र कालू
4. सीता पुत्री कालू
5. रामस्वरूपी पुत्री कालू
6. बल्लू पत्री कालू

7. समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. शांति देवी पत्नी रघुनाथ प्रसाद मीणा निवासी भींवपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को ग्राम सालडवास पटवार हल्का चंदवाजी भू- अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 272 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273/610 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी का किसी अन्य को बैचान-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने, आम व खास मुख्त्यार नहीं करे न ही उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सालडवास पटवार हल्का चंदवाजी भू- अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 272 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273/610 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर वादी मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री कंवर सिंह जाति मीणा का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...
.....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।